सरल क्रमांक .....

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880, सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771-2445611 फैक्स नंबर : 2426396

छ0ग0 राज्य के राजनांदगांव, बालोद एवं बेमेतरा जिले में उपलब्ध धान की महाराष्ट्र राज्य के मिलर्स से कस्टम मिलिंग हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष - 2013

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय रायपुर (छ.ग.) 492001

छ0ग0 राज्य के राजनांदगांव, बालोद एवं बेमेतरा जिले में उपलब्ध धान की महाराष्ट्र राज्य के मिलर्स से कस्टम मिलिंग हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष – 2013

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	उद्बोधन परिशिष्ठ –1	2
02	निविदाकार का संक्षिप्त परिचय (तकनीकी बीड हेतु) परिशिष्ठ –2	3
02	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें (तकनीकी बीड हेतु) परिशिष्ठ –3	4
03	छ0ग0 राज्य के राजनांदगांव, बालोद एवं बेमेतरा जिले में उपलब्ध धान की महाराष्ट्र राज्य के मिलर्स से कस्टम मिलिंग हेतु निविदा दर परिशिष्ठ –4 (फायनेन्शियल बीड हेतु)	5

परिशिष्ठ 1

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

1. छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषको से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग राज्य शासन द्वारा महाराष्ट्र राज्य के मिलरों से कराने के निर्देश के परिपेक्ष्य में राजनांदगांव, बेमेतरा एवं बालोद जिले में उपलब्ध धान की महाराष्ट्र राज्य के इच्छुक कस्टम मिलरों से कस्टम मिलिंग हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है :–

   (I) परिशिष्ट '2' निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण। (तकनीकी बीड हेतु)

   (II) परिशिष्ट '3' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं। (तकनीकी बीड हेतु)

   (III) परिशिष्ट '4' निविदा दर का प्रस्तुतीकरण। (फायनेन्शियल बीड हेतु)

   निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट 4 मे साफ–साफ अंको एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार सें यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ 880 सिविल लाईन्स रायपुर में निर्धारित तारीख को निर्धारित समय तक स्वीकार किये जायेगे। प्राप्त निविदाये उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकारो के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

3. निविदा प्रपत्र के दो भाग है। पहला तकनीकी बीड एवं दूसरा फाइनेन्शियल बीड। उक्त दोनो बीड अलग–अलग लिफाफे में सील बंद किये जावें। उक्त दोनों लिफाफे एक बडे लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत की जावें। पहले तकनीकी बीड खोली जायेगी। तकनीकी बीड सही पाये जाने पर ही फाइनेन्शियल बीड खोली जायेगी।

4. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले निर्देश व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।

5. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध न्यूनतम दर वाले निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध कस्टम मिलरों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।

6. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–2 एवं 3 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

7. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक कालम अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

8. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड कर भरी जा सकती है, किन्तु निविदा प्रपत्र के मूल्य 201 रूपये की डी.डी. निविदा के साथ तकनीकी लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी दरें प्रस्तुत करे।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन
संघ मर्यादित रायपुर

परिशिष्ठ 2

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

छ0ग0 राज्य के राजनांदगांव, बालोद एवं बेमेतरा जिले में उपलब्ध धान की महाराष्ट्र राज्य के मिलर्स से कस्टम मिलिंग हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष – 2013

स्वप्रमाणित फोटो

1. निविदाकर्ता (राईस मिल) फर्म का नाम .....
   व पूरा पता .....
   .....
   पत्र व्यवहार हेतु .....
   .....
2. निविदाकर्ता/राईस मिलर फर्म के प्रतिनिधि का नाम .....
3. प्रतिनिधि का हस्ताक्षर नमूना .....
4. पिता का नाम .....
5. राईस मिल स्वयं की अथवा लीज की है का प्रमाण पत्र अथवा डीड।
6. निविदाकर्ता फर्म का दूरभाष नंबर.....मोबाईल नं0 .....
7. निविदाकर्ता का वाणिज्यकर नं0 प्रांतीय.....केन्द्रीय .....
8. निविदाकार का पैन नम्बर एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
9. राईस मिल का उद्योग विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
10. विगत तीन माह में से किसी एक माह का बिजली के बिल की प्रति संलग्न करें।
11. अमानत राशि हेतु 20000 रूपये का डी.डी. किसी अधिसूचित बैंक का संलग्न करें।
    डी.डी. नंबर .....दिनांक .....बैंक का नाम..... राशि 20000/–
12. निविदा फार्म विक्रय का मूल्य 201 रूपये प्रति सेट (दो सौ एक रूपये) जिसके जमा करने का विवरण निम्नानुसार है :–

    (1) निविदा फार्म के मूल्य की प्राप्ति :– रसीद.नं.....दि०.....राशि 201/–

    या

    (2) निविदा फार्म के मूल्य की प्राप्ति :– डी.डी.नं.....दि०.....राशि 201/–

दिनांक .....

पार्टनर/मालिक फर्म का नाम एवं सील

सत्यापन

मैं/हम/मेसर्स .....आत्मज .....
स्थान .....जिला.....यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सही है।

पार्टनर/मालिक फर्म का नाम एवं सील

कार्यालयीन उपयोग हेतु

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारी दिनांक .....

परिशिष्ठ – 3

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग राज्य शासन द्वारा महाराष्ट्र राज्य के मिलरों से कराने के निर्देश के परिपेक्ष्य में राजनांदगांव, बेमेतरा एवं बालोद जिले में उपलब्ध धान की कस्टम मिलिंग हेतु महाराष्ट्र राज्य के इच्छुक कस्टम मिलरों से कस्टम मिलिंग हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र के नियम शर्तो का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। ये निर्देश तथा शर्ते निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे।

1. विपणन संघ के द्वारा निर्धारित निविदा फार्म में ही सीलबंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करना होगा जिसमें निविदाकर्ता का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो लगा होना चाहिए।
2. निविदाएं केवल वाणिज्यकर विभाग से पंजीकृत राईस मिलर द्वारा प्रस्तुत की जावे तथा जीवित पंजीकृत लाईसेंस की प्रमाणित छायाप्रति निविदा फार्म के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जावे।
3. निविदाकर्ता के लिए आवश्यक होगा कि वे निविदा के साथ 20000 रूपये (बीस हजार रूपये) की अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अनिवार्यतः प्रस्तुत करें जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के नाम देय होगा, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदाकार को महाराष्ट्र राज्य में राईस मिल स्थापित होने के प्रमाण पत्र हेतु जिला उद्योग केन्द्र का पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकार को राईस मिल के विगत तीन माह में से किसी एक माह का बिजली बिल की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. निविदाकार को निविदा के साथ पैन नम्बर(इन्कम टैक्स) की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. प्रकाशित निविदा कार्यक्रम अनुसार विपणन संघ के मुख्यालय में दिनांक 29.05.2013 को दोपहर 2.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन निविदाएं निर्धारित निविदा समिति के द्वारा 3.00 बजे दोपहर बाद खोली जावेगी। निविदा राईस मिलर एवं उनके प्रतिनिधि के माध्यम से स्वीकार की जावेंगी।
8. समस्त प्राप्त निविदाओं का इन्द्राज एक पंजी में किया जावेगा। प्राप्त निविदाएं, निविदा कमेटी के समक्ष उपस्थित निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी तथा तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जावेगा। जिसमें निविदा कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर होगें।
9. न्यूनतम दर वाले निविदाकार से निगोशियेशन किया जा सकता है।
10. सफल निविदाकार को दरें स्वीकृत होने के बाद निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करने के पश्चात् कस्टम मिलिंग का कार्य दिया जावेगा। इस हेतु छ0ग0 राज्य में प्रचलित कस्टम मिलिंग अनुबंध का भली–भांति अध्ययन कर लिया जावें।
11. किसी भी प्रकार के टैक्स जमा करने का दायित्व विपणन संघ का नहीं होगा ।
12. निविदा फार्म में परिशिष्ठ 1, 2 एवं 3 तकनीकी बीड के लिफाफे में तथा परिशिष्ठ 4 फायनेन्शियल बीड के लिफाफे में बंद कर उक्त दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर सीलबंद कर निविदा पेटी में निर्धारित तिथि एवं समय पूर्व डालना अनिवार्य है।
13. किसी भी निविदा या संपूर्ण निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

प्रबंध संचालक

परिशिष्ठ – 4

फायनेन्शियल बीड

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 राज्य सहकारी विप. संघ मर्या.,
रायपुर छ0ग0

विषय :– छ0ग0 राज्य के राजनांदगांव, बालोद एवं बेमेतरा जिले में उपलब्ध धान की महाराष्ट्र राज्य के मिलर्स से कस्टम मिलिंग हेतु धान परिवहन की निविदा दर।

मै/हम/मेसर्स .....एतद् द्वारा छ0ग0 राज्य में समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु महाराष्ट्र राज्य के ..... जिला .....में संचालित राईस मिल जिसका उद्योग विभाग का पंजीयन क्रमांक ....दिनांक.....है, द्वारा छ0ग0 राज्य में समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग छ0ग0 राज्य में प्रचलित दर पर करने को सहमत हूँ। कस्टम मिलिंग हेतु अर्न्तराज्यीय धान परिवहन की निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ तथा कस्टम मिलिंग के तहत धान एवं चावल परिवहन हेतु उक्त दर पर कस्टम मिलिंग का कार्य संपादित करूंगा। मुझे यह ज्ञात है कि कस्टम मिलिंग एवं अर्न्तराज्यीय धान परिवहन पर देय अन्य कर/उपकर आदि मेरे द्वारा ही देय होंगे।

दरे निम्नानुसार हैं :–

क०	परिवहन की दूरी	दर प्रति टन प्रति किलो मीटर लोंडिंग अनलोडिंग सहित	
		अंको में	शब्दों में
1.	0–100 किमो मीटर		
2.	0–150 किमो मीटर		
3.	0–200 किमो मीटर		
3.	0–250 किमो मीटर		
5.	0–300 किमो मीटर		

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत दर पर परिवहन प्राप्त होने की स्थिति में छ0ग0 राज्य में प्रचलित नियमों के तहत कस्टम मिलिंग कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील ——————————